

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—: संशोधन आदेश :—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश के द्वारा आर.पी.एस.सी द्वारा चयनित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य के 02 वर्ष की परीक्षाधीन अवधि समाप्त होने पर स्थायीकरण/अवकाश आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों में निम्नांकित कार्मिकों के उनके सामने अंकित कॉलम सं. 5 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन	विषय	आदेश क्रमांक व आवेदक की अंकित क्रम संख्या	संशोधन
1	2	3	4	5
1	अजीत कुमार व्या-वाणिज्य राउमावि, डग-झालावाड	वाणिज्य	क्रमांक शिविरा/मा/संस्था /सी-2/प्रो.टे./इतिहास -वाणिज्य/स्थाईकरण/ 2018 के क्रम संख्या 05 पर अंकित	कार्मिक का नाम AJIT KUMAR के स्थान पर AJEET KUMAR तथा वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि डग-भरतपुर के स्थान पर राउमावि डग-झालावाड किया जाता है।
2	लक्ष्मी नागल व्या-वाणिज्य यशोदा देवी राउमावि, मथानिया-जोधपुर	वाणिज्य	क्रमांक शिविरा/मा/संस्था /सी-2/प्रो.टे./इतिहास -वाणिज्य/स्थाईकरण/ 2018 दिनांक 01.05.2018 के क्रम संख्या 08 पर अंकित	कार्मिक की जन्मतिथि 07.05.2016 के स्थान पर 07.05.1978 की जाती है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढ़ी जावें।

११.०५.१८
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/प्रो.टे./इति-वाणि./स्थायी./संशोधन/2018 दिनांक:- 11.05.18
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (गुप-2) विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)...
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओ.ए.सी. प्रभाग कार्यालय हाजा
6. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. निजी/रक्षित पत्रावली ।

११.०५.१८
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)